खण्डपीठ सिविल स्पेशल अपील नम्बर 21/2002
कालूराम टेलर बनाम रामेश्वर दयाल व अन्य

30.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

माननीय न्यायाधिपति श्री खेम चन्द शर्मा

श्री सौरभ कुमार, अधिवक्ता वास्ते अपीलांट।

रेस्पोडेंट की सर्विस डिसपेंस-विथ की जाती है।

हमने अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन किया।

दिनांक 31.05.2001 को यह निर्देश दिया गया था कि रेस्पोडेट, अपीलांट को पूर्ववत सेवा में पुन:स्थापित करेंगे और आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने के सात दिवसों के भीतर भीतर बकाया वेतन का भुगतान करेंगे। उक्त आदेश की पालना हो चुकी है।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि अपीलांट को पे-स्केल नहीं दी गई है एवं इस कारण से रेस्पोडेंट ने न्यायालय के आदेश की अवमानना की है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

दिनांक 31.05.2001 को पे-स्केल के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये थे, ऐसी स्थिति में विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अत: अपील निरस्त की जाती है।

(न्या. खेम चन्द शर्मा) **(न्या. शिव कुमार शर्मा)**